| | | |
|---|---|---|
| 10.01.2018 | **राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर**<br>पीठासीन अधिकारी :– श्री जे0एन0मथुरिया(आर0ए0एस0)<br>आर.सी.एम.एस 2015/00263<br>अपील संख्या 136/2015 ( 223 आर.टी.एक्ट)<br>उनवानः– नरेन्द्र सिंह वगै0 बनाम तारावती वगै0 | |
| | वकुलाय फरीकेन उप0। बहस उभयपक्ष सुनी गई दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील के तथ्यो को दौहराते हुये निवेदन किया कि अपीलार्थी की आपत्ति पर विचार न करते हुए खसरा न0 105 को प्रत्यर्थी के पक्ष में दे दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय नें बिना कोई कारण अकिंत किये आपत्ति को खारिज कर दिया है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को खारिज किया जावे।<br>बचाव में वकील प्रत्यर्थी नें निवेदन किया कि अपीलार्थी को उसके हिस्से के अनुसार दे दिया गया है। अपीलार्थी के हिस्से से अधिक खसरा न0 105 पर भी अपना हक जताते है। अतः अपील खारिज की जावे।<br>बहस उभय पक्ष के क्रम में अपीलार्थी स्वंय जो न्यायालय में उपस्थित है से जानकारी चाही गई कि वह खसरा न0 105 के स्थान पर अपने हिस्से में से कौन सा रकवा छोडना चाहता है। इसके उत्तर में अपीलार्थी नें कोई उत्तर नहीं दिया। ऐसी दशा में अपीलार्थी की अपील में कोई सार प्रकट नहीं होता है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।<br>पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम कि जावे एवं वाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। | |

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official